न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन सख्याः– 20/2017

प्रार्थीःगण –

1. रूपाराम पुत्र भोपाराम
2. जबराराम पुत्र भोपाराम
3. मांगीलाल पुत्र भेराराम
4. सांवलाराम पुत्र चिमनाजी
5. सोरमदेवी पत्नी बाबुसिंह
6. भंवरीदेवी पत्नी आम्बसिंह
7. छोगाराम पुत्र पूनमाराम
8. गुमानसिंह पुत्र भगवानाराम
9. केवलराम पुत्र चौथाजी
10. जबराराम पुत्र जोमताजी उर्फ जेमलाजी
11. अर्जुनराम पुत्र जोमताजी उर्फ जेमलाजी
12. चेनाराम पुत्र जोमताजी उर्फ जेमलाजी
13. नरपतसिह पुत्र बिशनसिह
14. बगाराम पुत्र खंगाराराम
15. शंकरलाल पुत्र खंगाराराम
16. पारस पुत्र खंगाराराम

जातियान राजपुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. हंजारीरमल पुत्र फुआजी जातिपुरोहित नि. गुडा
2. जबरपुरी पुत्र रतनपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
3. मदनपुरी पुत्र रतनपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
4. चेतनपुरी पुत्र टीकमपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
5. ओमपुरी पुत्र टीकमपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
6. दीपा गौद पुत्र गिरध[illegible] सिवाना
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक[illegible] सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज[illegible] काश्तकार अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री नरपतसिह अधिवक्ता विप्रार्थीगण 1 व 6

3 विप्राथीगण संख्या 02 ता 05 अनुपस्थित

–: आदेश :–

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दिनांक :–24.09.2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1252 व 1255 रकबा 3.10 व 3.14 बीघा भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना में आवागमन हेतु रास्ता बदिशा उत्तर मे स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1253,1245 व 1246 के माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाता है । उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट''अ''में वरग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2019/3995 दिनांक 11.10.19 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

विप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्र्टड डाक से तामील सुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 व 7 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से वकील श्री नरपतसिंह भाटी उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर मौके पर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा आवगमन हेतु आवेदित खसरा संख्या 1248,1249 व 1245 में सरहद पर मार्क ए से बी स्थान पर विप्रार्थीगण के आवासीय मकान होने से उक्त स्थान पर प्रार्थीगण को रास्ता नहीं दिया जा सकता है अर्थात उक्त रिपोर्ट से यह भली भाति सिद्व है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट 'अ' पेश किया है जिसमें मार्क ए से बी रास्ता हेतु भूमि आवेदित की है जो किसी तरह से न्यायसंगत नहीं है तथा विप्रार्थीगण के मकानात को गिराकर उक्त स्थान पर रास्ता दिया जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है ,अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1252 व 1255 रकबा 3.10 व 3.14 बीघा भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना में आवागमन हेतु रास्ता बदिशा उत्तर में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1253,1245 व 1246 के माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग एक मात्र नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है विप्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थी वकील की बहस में दी गई दलीलो का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाय मार्क ए से बी तक आवगमन हेतु मांगे रास्ते में विप्रार्थीगण के आवासीय मकान बने होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता नहीं दिया जा सकता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर गंभीरता से मनन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया गया तहसीलदार सिवाना ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थीगण के आवगमन हेतु आवेदित मार्क ए से बी खसरा संख्या 1253,1245 व 1246 में विप्रार्थीगण के आवासीय मकान बने हुये है प्रार्थीगण वर्तमान मे खसरा संख्या 1251,1252 व 1255 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 1249 व 1253 मे से उपयोग में आ रहा है, खसरा संख्या 1248, 1249 व 1245 में आवासीय मकान होने से मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क सी से डी खसरा संख्या 1246,1245 व 1253 की पूर्वी माठ पर दिया जाना उचित बताया गया है खसरा संख्या 1194 गै.मु. सडक मौके पर सिवाना से पादरू डामर सडक है बिन्दू संख्या सी मौके पर डामर सडक से प्रारम्भ होता है बिन्दू संख्या सी से डी तक दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर उपलब्ध रास्ते से निकटतम नहीं है उक्त रास्ता निकटतम है दर्शाये गये रास्ते में वर्तमान में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गया रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पत्रांक राजस्व/2019/3995 दिनांक 11.10.19 के संलग्न मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल सी से डी विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1246,1245 व 1253 की पूर्वी माठ पर रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ.स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 1252 व 1255 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत सरहद सिवाना पटवार मण्डल सिवाना के खसरा नम्बर 1246,1245 व 1253 की पूर्वी माठ पर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल सी से डी प्रस्तावित रास्ता 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की गणना कर निर्णय दिनाक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल सी से डी तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 24.09.202[illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)